



मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा

दशम् सत्र

फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2016

(4 फाल्गुन, शक संवत् 1937)

[खण्ड-10]

[अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2016

(4 फाल्गुन, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

10.31 बजे

राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत “वन्देमातरम्” का समूह गान

अध्यक्ष महोदय – अब, राष्ट्रगीत “वन्देमातरम्” होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(सदन में राष्ट्रगीत “वन्देमातरम्” का समूह गान किया गया.)

10.32 बजे

शपथ

श्री नारायण त्रिपाठी, 65 - मैहर

अध्यक्ष महोदय -- उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65-मैहर से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण त्रिपाठी शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

श्री नारायण त्रिपाठी (मैहर) - शपथ

अध्यक्ष महोदय -- अब, सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

समय 10.45

(माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ में सदन में आगमन)

अध्यक्षीय व्यवस्था

राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण को पढ़े जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय --माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय अभिभाषण की कंडिका 1,2,3 एवं कंडिका 154 ही पढ़ेंगे. शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा.

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय (श्री रामनरेश यादव) --
माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. चौदहवीं विधान सभा के इस तीसरे बजट सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है।

2. वर्ष 2015 में प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। चुनावों से लोकतंत्र के मजबूत होने तथा इनके परिणामों से मेरी सरकार में जनता के पुख्ता विश्वास का प्रमाण मिला।

3. मेरी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने की दिशा में उत्तरोत्तर अग्रसर है। सरकार जनसंकल्प 2013 और विजन 2018 के क्रियान्वयन के लिये पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस दिशा में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

4. संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती और अन्त्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रदेश में गरीब कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने तथा अन्य शासकीय योजनाओं का प्रभावी लाभ प्रदाय करने का अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति के भाई-बहनों के विकास के लिये वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त नई योजनाएँ भी प्रारम्भ की जायेंगी।

5. इस वर्ष प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश के किसानों और खेती को अकल्पनीय हानि पहुँचायी है। सरकार ने विधान सभा का विशेष सत्र आहूत कर किसानों के हितों के संरक्षण की ऐतिहासिक नजीर पेश की है। राहत पहुँचाने के लिये सरकार द्वारा अपने खर्चों में आवश्यकतानुसार कटौती का फैसला किसानों के प्रति संवेदनशीलता का जीवन्त प्रमाण है। फसल क्षति के कारण लगभग 4600 करोड़ रुपये की राहत सीधे किसानों के खाते में जमा की जा रही है।

6. राज्य की वित्तीय स्थिति का निरंतर संतोषजनक प्रबंधन किया गया। यह कुशल वित्तीय प्रबंध का ही परिणाम है कि राज्य पिछले ग्यारह वर्ष से राजस्व

आधिक्य की स्थिति में है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रुपये 1 लाख 2 हजार करोड़ था जो वर्ष 2014-15 में अनुमानतः चार गुना बढ़कर रुपये 5 लाख 8 हजार करोड़ हुआ।

7. पिछले वित्त वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.19 प्रतिशत रही जो देश में सबसे ज्यादा है। इसी अवधि में प्रदेश का आयोजना बजट दस गुना से अधिक बढ़ा और आयोजनेत्तर व्यय सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। अब 99 प्रतिशत भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है।

8. वर्ष 2003-04 में कुल राजस्व प्राप्तियों की 22.44 प्रतिशत राशि का ब्याज भुगतान में व्यय होता था। वर्ष 2014-15 में यह घटकर 7.98 प्रतिशत रह गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

9. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं को मेरी सरकार आदर्श ढंग से जमीन पर उतार रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में करीब 5 लाख 53 हजार हितग्राहियों को 3034 करोड़ के ऋण बैंकों द्वारा निर्गमित किये गये हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति तथा अटल पेंशन योजना में प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है।

10. सड़क निर्माण क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी ने अग्रणी भूमिका निभायी है। वर्तमान में 29 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न चरण में है। पी.पी.पी. परियोजनाएँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के विकास में भी प्रस्तावित हैं।

11. मेरी सरकार ने विगत दो वर्ष में विभिन्न योजनाओं में किसान भाइयों को 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया है।

12. प्रदेश के किसान की कड़ी मेहनत और मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को इस वर्ष भी लगातार चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रदेश गेहूँ के उत्पादन में अब देश में दूसरे नम्बर पर है। व्यापक सूखे के बावजूद प्रदेश की यह उपलब्धि गर्व की बात है।

13. वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमान के आधार पर प्रदेश की कृषि विकास दर 20.11 प्रतिशत रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप अगले 5 वर्ष में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

14. सरकार अब कृषि को नई दिशा और गति देने के प्रयास कर रही है। वर्ष 2017 तक सभी किसानों को

स्वाइल हेल्थ कार्ड देने का लक्ष्य है। बिजली के स्थायी कनेक्शन देने का अभियान आरम्भ किया गया है। सोलर पम्प की स्थापना प्रोत्साहित की जायेगी। मेरी सरकार कृषि उत्पाद निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये एपीडा की तर्ज पर संस्था बनाने जा रही है। सहकारिता के नेटवर्क से भी प्रदेश के हर किसान को जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

15. मेरी सरकार कृषि उत्पादों के प्र-संस्करण के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देगी। फ्रूट रूट तथा वेजीटेबल रूट की संस्थागत व्यवस्था बनायी जायेगी। सरकार फल-सब्जियों के लिये अलग सुसज्जित मंडियाँ तैयार करेगी। डिमान्स्ट्रेशन फार्म भी बनाये जायेंगे। मेरी सरकार कृषि वानिकी नीति भी बनाने जा रही है।

16. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित नई फसल बीमा योजना में प्रभावित किसानों को अब और अधिक लाभ मिलेगा। रबी और खरीफ 2014 में 6 लाख से अधिक किसानों को लगभग 666 करोड़ की दावा राशि दी गई। खरीफ 2015 की बीमा राशि रुपये 4300 करोड़ अनुमानित है।

17. मेरी सरकार खेती को और अधिक वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिये लगातार प्रयास कर रही है।

अभी तक 3 लाख 14 हजार नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

18. 265 नई प्रयोगशाला के निर्माण के लिये 95 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। किसानों को खेती की नई तकनीकों से अवगत करवाने की दृष्टि से कृषि महोत्सव का आयोजन सफल रहा है। सभी 313 विकासखण्डों में किसान ज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना की गई है।

19. मेरी सरकार ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और कृषि कार्य के लिये 10 घंटे प्रतिदिन बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इस वित्त वर्ष में विद्युत उपलब्धता में 926 मेगावॉट की वृद्धि की गई है। बिजली की उपलब्ध 16 हजार मेगावॉट की क्षमता को वर्ष 2018 तक 18 हजार मेगावॉट करने का लक्ष्य है।

20. किसानों को फ्लैट रेट योजना के आधार पर 1200 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष के हिसाब से छमाही बिल जमा करने की सुविधा दी गई है। इस वित्त वर्ष में कृषि उपभोक्ताओं सहित टेरिफ सब्सिडी मद में सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को 7,405 करोड़ की अनुदान राशि प्रावधानित की गई है।

21. मेरी सरकार द्वारा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिये किये गये प्रयासों से प्रदेश पिछले वर्ष सोलर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में देश में द्वितीय रहा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता 438 से बढ़कर 1987 मेगावॉट हो गई है। 60 हजार करोड़ के निवेश से 10,000 मेगावॉट की परियोजनाएँ स्थापनाधीन हैं। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

22. मेरी सरकार खेती-किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये किसानों का सभी प्रकार से सहयोग कर रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर निरंतर अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष जनवरी तक 12 हजार 218 करोड़ से ज्यादा का फसल ऋण वितरित किया गया।

23. प्रदेश में लगभग 83 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। वर्ष 2017-18 तक प्रतिवर्ष 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य है।

24. मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण योजना में खाद एवं बीज के लिए दिये गये ऋण की राशि पर राज्य

सरकार द्वारा अनुदान की योजना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 में कृषकों को प्रदेश की बीज उत्पादक समितियों द्वारा साढ़े 8 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया गया।

25. ऐसे कृषक, जिनकी फसल क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हुई है, के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन में बदला गया है। ऐसे किसानों के कृषि पम्पों के बिजली बिलों के भुगतान को 31 मार्च 2016 तक आस्थगित कर दिया है। इससे कम्पनियों को होने वाली क्षति की पूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में की जायेगी। परिवर्तित ऋणों के किश्तों की अदायगी पर शून्य प्रतिशत ब्याज के लिये वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

26. प्रदेश के सभी 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक में कोर बैंकिंग की सुविधा प्रारम्भ हो चुकी है। सहकारी समितियों के सदस्य कृषकों का विभागीय पोर्टल ई-कोआपरेटिव्स पर पंजीयन प्रारम्भ कर 21 लाख 50 हजार कृषक पंजीकृत किये गये हैं।

27. मेरी सरकार पशुधन के संरक्षण-संवर्द्धन के प्रति सजग है। जिला स्तरीय पशु चिकित्सालयों को पॉली क्लीनिक्स का स्वरूप दिया जा रहा है। इस वर्ष 8 जिलों

में तथा उसके बाद सभी जिलों में पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। भोपाल में राज्य स्तरीय पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने “नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर” की स्थापना की स्वीकृति दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में तरल नम्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना कर उत्पादन एवं वितरण प्रारम्भ किया गया है।

28. सालरिया गौ-अभयारण्य, गौ-मूत्र औषधि निर्माण केन्द्र और जबलपुर पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना समय-सीमा में हो गई है।

29. मेरी सरकार द्वारा मछली पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल उपलब्ध जल-क्षेत्र के 98 प्रतिशत में मछली-पाल किया जा रहा है। वर्ष 2015 में कुल 4415 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया और एक लाख 80 हजार से ज्यादा मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया।

30. शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुलभ करवाने के लिये 46 हजार 840 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं। कुल 2108 मछुआ सहकारी समिति गठित की जा चुकी हैं। नगर तथा ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में 95 छोटे मछली बाजारों का निर्माण करवाया गया है।

31. मेरी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014-15 में फल, सब्जी, मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र में 54 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इस साल 73 हजार हेक्टेयर में विस्तार प्रस्तावित है। अगले साल 3 लाख कृषकों की उद्यानिकी फसलों का बीमा किया जायेगा।

32. प्रदेश का देश में औषधियों, अमरूद, लहसुन उत्पादन में प्रथम, संतरा, मटर, प्याज, धनिया में द्वितीय और नींबू, टमाटर उत्पादन में तीसरा स्थान है।

33. मेरी सरकार ने दृष्टि पत्र 2018 में शासकीय स्रोतों से सिंचाई क्षमता 40 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग की परियोजनाओं से 33 लाख हेक्टेयर तथा ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग की योजनाओं से 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। अगले दस वर्षों में शासकीय स्रोतों से सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर करने का कार्य प्रगति पर है।

34. मेरी सरकार ने नहरों से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया है। अधिकांश बृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं में रूपांकित क्षमता से अधिक सिंचाई की गई है।

35. सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर इस वर्ष 5,372 करोड़ रुपये निवेश किये जा रहे हैं। दिसम्बर 2015 तक 563 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अभी 10 वृहद्, 30 मध्यम एवं 241 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। माही एवं बरियारपुर बाँधों का निर्माण पूरा हो चुका है एवं नहरों का निर्माण पूर्णता पर है।

36. मेरी सरकार ने सिंचाई जल के अपव्यय को रोकने तथा उपलब्ध जल का अधिकतम लाभ लेने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है। मोहनपुरा, बानसुजारा, कुण्डलिया, पंचमनगर, चंदेरी, पारसडोह तथा गरोट परियोजनाओं में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई उपलब्ध होगी।

37. छिन्दवाड़ा एवं सिवनी जिले में पेंच वृहद् परियोजना, टीकमगढ़ जिले में बानसुजारा वृहद् परियोजना, राजगढ़ जिले में मोहनपुरा वृहद् परियोजना का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। राजगढ़ एवं आगर-मालवा जिले की कुण्डलिया वृहद् परियोजना का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। विगत एक वर्ष में 57 परियोजनाओं के सुदृढीकरण, पुनरूद्धार एवं क्षमता वृद्धि के कार्य पूरे किये गये हैं।

38. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश को आवंटित 18.25 एमएएफ नर्मदा जल का उपयोग वर्ष 2024 के पहले करने पर तेजी से काम किया जा रहा है।

39. नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना द्वारा ओंकारेश्वर नहर से नर्मदा का 5 क्यूमेक्स जल उद्वहन कर क्षिप्रा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। योजना से अप्रैल 2016 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिये जल सुलभ करवाया जा रहा है। इस पानी का उपयोग सिंचाई, पेयजल तथा औद्योगिक उद्देश्य के लिये भी किया जाएगा।

40. नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक योजना के प्रथम चरण के लिये रुपये 2187 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है। इससे इन्दौर और उज्जैन जिलों में 50 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

41. नरसिंहपुर, रायसेन एवं होशंगाबाद जिले में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई के लिये “चिंकी माइक्रो इरिगेशन परियोजना” स्वीकृत की गई है। परियोजना में कोई डूब क्षेत्र नहीं होगा। परियोजना को आत्म-निर्भर बनाने के लिये 35 मेगावॉट सोलर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जायेगा।

42. मेरी सरकार उच्च गुणवत्ता की भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिये कटिबद्ध है।

इस वर्ष अभी तक लगभग 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण / उन्नयन किया जा चुका है। सरकार ने निर्णय लिया है कि मुख्य जिला मार्गों का नया निर्माण सीमेंट/कांक्रीट से ही किया जाए।

43. परियोजना क्रियान्वयन इकाई के पृथक गठन से भवनों के निर्माण में तेजी आयी है और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इकाई द्वारा रुपये 4000 करोड़ के 2839 भवन कार्य पूर्ण किये गये हैं।

44. मेरी सरकार द्वारा युवा अभियंताओं को निर्माण कार्य को व्यवसाय के रूप में अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा कांट्रेक्टर योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 810 अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 295 अभियंताओं ने ठेकेदार के रूप में पंजीयन कराया है।

45. मेरी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास का बेहतर वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, स्व-रोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से इस वर्ष जनवरी तक 50 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। अगले वर्ष एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसी अवधि में 8982 सूक्ष्म, लघु, मध्यम और 7 वृहद उद्यम

स्थापित हुए हैं। कुल 52 हजार 370 आवेदकों को जॉब फेयर के माध्यम से नियुक्ति दिलायी गयी। साथ ही 60 हजार से ज्यादा आवेदकों को कैरियर काउन्सिलिंग से लाभान्वित किया गया। भारत सरकार ने देवास में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

46. प्रदेश के 25 हजार युवक/युवतियों को, जो पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण हो, को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गयी है।

47. सरकार ने पीथमपुर जिला धार में जापान एवं दक्षिण कोरिया के निवेशकों के लिए विशिष्ट निवेश क्षेत्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन्दौर में 1113 हेक्टेयर भूमि पर मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड. विकसित किया गया है, जिसमें 4187 करोड़ रुपये की लागत से 49 इकाइयाँ स्थापित हैं। इन्दौर स्थित आई.टी., एस.ई.जेड. में 55,600 वर्गमीटर में “रेडी टू यूज” अधोसंरचना निर्मित की गई है जहाँ 6 इकाइयों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

48. मेरी सरकार ने 27 स्थानों पर 7675 हेक्टेयर भूमि पर चरणबद्ध 3022 करोड़ रुपये की लागत से

सर्वसुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना बनाई है। छह औद्योगिक क्षेत्र क्रिस्टल आई. टी. पार्क, रेडीमेट गॉरमेंट पार्क गदईपुरा, सीतापुर पहाड़ी, अमकुही, भुरकलखापा, उमरिया-डुंगरिया की 295 हेक्टेयर भूमि पर 159 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

49. औद्योगिक क्षेत्र कीरतपुर, बाबई, अचारपुरा, बगरोदा, जम्बार बागरी, रेल्वारुर्द, कसारवाडी, रूधिभावसिंगपुरा, उज्जैन, हातोद, पहाड़ी फेस-2, मैहर सतना, विक्रम उद्योगपुरी, करमदी, सिरसोदा, नेमावर, अपेरल, फार्मा और नमकीन क्लस्टर में 958 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

50. मण्डीदीप, गोविन्दपुरा, पीथमपुर, पोलोग्राउण्ड, साँवेर रोड एवं सिद्धगवाँ, पुरैना, महाराजपुरा, मालनपुर, मनैरी, रिछाई, देवास, सतना औद्योगिक क्षेत्र में 480 करोड़ रुपये लागत के अधोसंरचना उन्नयन के कार्य पूरे हो गये हैं।

51. प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की सतत प्रक्रिया में “ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट” माह अक्टूबर में इंदौर में की जायेगी।

52. डी.एम.आई.सी. प्रोजेक्ट में विक्रम उद्योगपुरी परियोजना, उज्जैन में बाहरी और आंतरिक अधोसंरचना

का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। पीथमपुर जल प्रदाय परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जायेगा।

53. भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से किये गये “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” आंकलन में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश के श्रम सुधारों संबंधी नीतिगत निर्णयों की विशेष सराहना की गई है।

54. मेरी सरकार ने एक मार्च 2014 से “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम” के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया है। पात्र परिवारों में अंत्योदय अन्य योजना तथा प्राथमिकता परिवार के रूप में बीपीएल परिवार के साथ 23 अन्य श्रेणी के गैर बीपीएल परिवारों को सम्मिलित किया है।

55. “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” में सभी पात्र परिवारों को गेहूँ एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर सालाना लगभग 440 करोड़ का अनुदान दे रही है।

56. सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की यथासंभव एक तिहाई उचित मूल्य दुकान महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तथा नगरीय क्षेत्र में 800 पात्र परिवार पर एक उचित मूल्य

दुकान खोली जाये। लीड संस्थाओं के प्रावधान को समाप्त कर द्वार प्रदाय योजना का प्रावधान किया गया है।

57. उचित मूल्य दुकान संचालन के कमीशन में वृद्धि कर उन्हें बहुउद्देश्यीय बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान संचालन पर प्रति पूर्णकालिक विक्रेता वाली दुकान को एकमुश्त 8,400 रुपये प्रतिमाह कमीशन दिया जा रहा है।

58. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्णतः कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है। अभी तक लगभग 8,996 राशन दुकानों पर मशीन लगा दी गई हैं। मार्च तक सभी उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीनों द्वारा राशन सामग्री के वितरण का प्रयास है।

59. “अपनी सुविधा-अपना राशन” व्यवस्था में शहर की किसी भी उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। अभी यह व्यवस्था भोपाल, इन्दौर एवं खण्डवा शहर में लागू की गई है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी इसे चरणबद्ध रूप में लागू किया जायेगा।

60. मेरी सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में भण्डारण सुविधा के विस्तार के उद्देश्य से 38 विकासखण्ड में

प्रति विकासखण्ड 1800 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से निर्माण कराने का निर्णय लिया है। वेयरहाउस संचालन के लिए लायसेंस का आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाकर लायसेंस भी ऑनलाईन जारी किए जाएंगे।

61. प्रदेश के गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिये सभी योजनाओं को पूरी दक्षता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 2244 किलोमीटर लम्बी 669 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इससे 810 सम्पर्क विहीन बसाहटों को सड़क सुविधा मिली है।

62. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवम्बर 2015 तक 13 हजार 540 किलोमीटर लम्बाई की 6,160 सड़कों तथा 22 हजार 974 पुल-पुलियों का निर्माण किया गया है। इससे 6500 गाँव को मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ने की सुविधा हो गई है।

63. मनरेगा में मजदूरी का भुगतान एफटीओ द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली से इस वर्ष दिसंबर तक 2000 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित किये गये। योजना में इस वित्त वर्ष में एक लाख 56 हजार से ज्यादा कार्य पूर्ण किये गये और करीब 4 लाख 14 हजार कार्य प्रगति पर हैं।

64. वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आवास मिशन में अभी तक 5 लाख 61 हजार ग्रामीण परिवारों को आवास निर्माण के लिये 5060 करोड़ का बैंक ऋण और शासकीय अनुदान वितरित किया गया है। 2 लाख वार्षिक आय तक के ग्रामीण परिवारों को मिशन का लाभ दिया जा रहा है। बैंक ऋण अब तीन के बजाय दो किश्तों में देने का निर्णय लिया गया है।

65. स्वच्छ भारत मिशन का प्रदेश में पूरी तत्परता से क्रियान्वयन हो रहा है। दिसम्बर 2015 तक प्रदेश के 50 लाख घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। शेष 73 लाख घरों में 2019 तक स्वच्छ शौचालय बनाकर दिये जायेंगे। इंदौर जिले का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो गया है। नरसिंहपुर जिले का चावरपाठा और सीहोर का बुधनी विकासखण्ड भी इस बुराई से मुक्त हो चुका है।

66. नगरीय क्षेत्रों को खुले में शौच की बुराई से पूरी तरह मुक्त करवाने के लिये 2000 करोड़ से ज्यादा रुपये की पाँच साला कार्य-योजना तैयार की गई है। सभी 378 नगरीय निकायों के लिये 3 लाख 88 हजार से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत किये गये हैं। अभी तक एक लाख 50 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

67. मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष और गर्व है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के चयन की प्रथम सूची में सबसे ज्यादा तीन शहर मध्यप्रदेश के हैं। इनमें भोपाल, जबलपुर और इंदौर शामिल हैं। आगामी चरण में और नगर शामिल किये जा रहे हैं।

68. अमृत योजना में नगरीय निकायों को नल कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिये 8,579 करोड़ के प्रस्तावों की सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है।

69. नगरों में आवासहीन गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध करवाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। कुल 1,000 करोड़ की लागत से लगभग 50 हजार आवास निर्माण स्वीकृत हैं। इनमें से 38 हजार 187 आवास बनाकर हितग्राहियों को आधिपत्य दिया जा चुका है। अक्टूबर 2016 तक सभी निर्मित आवासों का आधिपत्य दिया जाना लक्षित है।

70. नगरीय निकायों में अधोसंरचना संबंधी कार्यों के समय-सीमा में क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी का गठन किया गया है। नगरीय निकायों में मानक अनुसार पेयजल और सीवरेज व्यवस्था लागू करने के लिये रुपये 65000 करोड़ की योजनाएँ तैयार की गई हैं।

71. वर्तमान में 287 नगरीय निकाय में 1428 करोड़ की लागत से सड़क, उद्यान, फुटपाथ और नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट आदि के विकास कार्य प्रगति पर हैं।

72. नगरीय निकायों में राजस्व बढ़ाने के लिये आधुनिक सेटेलाइट नक्शे के माध्यम से घर-घर सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। अभी तक 44 निकाय में यह काम पूरा हो गया है और 79 में प्रगति पर है। इससे कई निकाय में सम्पत्ति कर की वसूली 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

73. अप्रैल-मई में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुम्भ होने जा रहा है। सिंहस्थ में 5 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। उज्जैन, इंदौर, देवास, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मंदसौर में अधोसंरचना विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सिंहस्थ कार्य-योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जा रहे हैं।

74. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिये अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। हाथ ठेला एवं साइकल रिक्शा चालक, शहरी घरेलू कामकाजी महिला, शहरी फेरीवालों तथा केश शिल्पी कल्याण योजना का क्रियान्वयन सक्षमता से किया जा रहा है। इन योजनाओं में प्रसूति, छात्रवृत्ति, विवाह, चिकित्सा,

बीमा और मृत्यु पर अनुग्रह सहायता आदि की व्यवस्था की गई है।

75. भोपाल और इंदौर के लिये मेट्रो सिस्टम का डी.पी.आर. बनाया जा रहा है। जापान की संस्था जायका की सहायता से दोनों शहरों की मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो के डी.पी.आर. तैयार किये जा रहे हैं।

76. मेरी सरकार ने 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय का मानदण्ड निर्धारित किया है। इस साल 7500 बसाहटों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 7785 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की गई है।

77. इस वर्ष 2062 ग्रामों / बसाहटों को नल-जल योजनाओं से आच्छादित किया गया। सभी गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य मार्च तक पूर्ण करने का प्रयास है। पेयजल सुविधाविहीन 2129 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की गई है।

78. भू-जल संरक्षण और पुनर्भरण कार्यक्रम में इस वर्ष 2853 संरचनाएँ बनायी गई। अगले वर्ष शासकीय भवन युक्त आँगनवाड़ियों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

की जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिरत शेष पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

79. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में 100 माध्यमिक और 100 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन किया गया है। समेकित छात्रवृत्ति योजना और समग्र शिक्षा पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले हैं। सवा चार लाख से ज्यादा छात्र/छात्राओं को निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ दिया गया है।

80. पिछले शिक्षण सत्र में 24 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें दी गयी। केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में रुपये 996 करोड़ की वार्षिक कार्य-योजना स्वीकृत की गई है। दो हजार विद्यालय में सूचना और तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की ICT@School योजना आरम्भ की जा रही है। कुल 1798 मदरसों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

81. शालाओं की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। कक्षा 9 एवं 10 के कुल 5000 छात्रों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी 110 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम योजना संचालित है।

82. कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार मेरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में 217 आईटीआई शासकीय एवं 715 निजी क्षेत्र में कार्यरत है। प्रदेश में 135 कौशल विकास केन्द्र भी संचालित हैं। 96 शासकीय आईटीआई के स्वयं के भवन बनाये जा रहे हैं। इस सत्र में 26 नये शासकीय आईटीआई स्थापित किये गये हैं। आईटीआई छात्रों के प्लेसमेंट एवं ट्रेकिंग के लिये पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

83. शहडोल एवं झाबुआ में नवीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ हो गये हैं। निर्माण क्षेत्र के परंपरागत कारीगरों के प्रमाणीकरण का कार्य जारी है। नागरिक सुविधाओं के लिये “कॉल कारीगर” पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

84. लगभग 1500 करोड़ की लागत से 7 मेगा स्किलिंग एवं टेक्नालाजी सेंटर की स्थापना की जायेगी। इनमें औद्योगिक क्लस्टरों के पास स्किल पार्क में उद्योगों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण, आईटीआई की अधोसंरचना का उन्नयन, राज्य कौशल विकास मिशन का सुदृढीकरण और संभागीय आईटीआई का सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन जैसे कार्य किये जायेंगे।

85. प्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सकल पंजीयन अनुपात 25 प्रतिशत करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

86. मेरी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार एवं गुणवत्ता विकास के लिए 2955 करोड़ रुपये की छह वर्षीय योजना तैयार की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रथम चरण के लिए केन्द्र से रुपये 269 करोड़ का अनुमोदन मिला है।

87. डॉ. सर हरीसिंह के नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों में अच्छा काम करने वाले कुलपतियों को एक लाख का पुरस्कार देना प्रारम्भ किया गया है। महाविद्यालयों के नेक से मूल्यांकन की प्रोत्साहन योजना में “ए” ग्रेड प्राप्त महाविद्यालय को प्रोत्साहन राशि रुपये 15 लाख प्रदाय की जायेगी। कुल 264 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

88. मेरी सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत-संकल्पित है। उनकी संवैधानिक सुरक्षा भी सरकार के प्राथमिक दायित्वों में शामिल है। मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के विकास के लिये उनकी जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक राशि राज्य

आयोजना में प्रावधानित की जा रही है। अनुसूचित जाति उपयोजना में वर्ष 2015-16 में 5993 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस वर्ष अनुसूचित जाति के 10 हजार से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार/रोजगार से लाभान्वित किया गया है। आदिवासी उपयोजना में वित्त वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 8417 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

89. विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना में 17 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का चयन किया जा चुका है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है। वर्तमान में 1705 छात्रावास/आश्रमों का संचालन किया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 77 नये प्री-मेट्रिक छात्रावास प्रारंभ किये जा रहे हैं। कॉलेजों में पढ़ रहे 15 हजार से अधिक विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है। कुल 160 छात्रावास भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 99 विद्यार्थी कोचिंग ले रहे हैं। संभागीय मुख्यालय पर ज्ञानोदय विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक उन्नत स्कॉलरशिप पोर्टल विकसित कर छात्रवृत्तियाँ ऑनलाईन स्वीकृत की जा रही हैं।

90. मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दे रही है। वर्ष 2015-16 में 10 हजार युवाओं के कौशल उन्नयन का लक्ष्य है। बीस नवीन प्री-मेट्रिक छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी गई है।

91. शिष्यवृत्ति की दरों को मूल्य सूचकांक से जोड़कर जुलाई 2015 से बालकों को 1000 रुपये तथा बालिकाओं को 1040 रुपये शिष्यावृत्ति दी जा रही है। महाविद्यालयीन स्तर पर निरंतर शिक्षा के लिये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी, जिला मुख्यालय पर 1250 और विकासखंड मुख्यालय पर 1000 रुपये की आवास सहायता दी जा रही है। 31 अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों / आश्रमों में विद्यार्थियों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ दिया जा रहा है।

92. विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा 30 जून, 2016 तक बढ़ायी गयी है। अब तक अनुसूचित-जाति के 14 हजार 110, अनुसूचित-जनजाति के 24 हजार 806 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 हजार 317, कुल 48 हजार 233 पद की पूर्ति की गयी है।

93. मेरी सरकार अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण के लिये भी काम कर रही है। इस वर्ष

जनजातीय गीतों की 125 स्वरलिपियाँ तैयार की गईं। 36 से ज्यादा खेलों का अभिलेखन किया गया। बैंगानी, बरेली, भिलाली बोलियों के संरक्षण के लिये शब्द संकलन किया जा रहा है।

94. मेरी सरकार ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पर प्रभावी अमल किया है। प्रयास यह है कि एक भी पात्रताधारी, वन अधिकारों से वंचित न रहे। प्रदेश में कुल 2 लाख 6 हजार 957 अधिकार-पत्र दे दिये गये हैं। अधिकार धारकों को कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

95. मेरी सरकार द्वारा विमुक्त, घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन कर इन वर्गों के समग्र शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की 16 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य छात्रवृत्ति, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन, विमुक्त जाति बस्ती विकास तथा विमुक्त जाति आवास योजना संचालित है।

96. मेरी सरकार पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति का कार्य ऑनलाईन किया

जा रहा है। इस वर्ष 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

97. केन्द्र द्वारा इन्दौर में 500 एवं शाजापुर में 50 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति दी गई है। कुल 17 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। भोपाल में सर्वसुविधायुक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण पूर्णता की ओर है। सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के 367 अभ्यर्थियों को 60 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष 1 लाख 66 हजार अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लक्ष्य है।

98. कुल स्वीकृत 100 पिछड़ा वर्ग कन्या एवं बालक छात्रावासों में से 93 भवन पूर्ण कर लिये गये हैं। अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के लिये भोपाल में 4 छात्रावास भवन स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 2 पूर्ण हो चुके हैं।

99. मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 1200 हितग्राही को मिला है। इन वर्गों के 12 हजार शिक्षित बेरोजगार को निःशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल 760 विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना का लाभ मिला है।

100. मेरी सरकार महिला बाल विकास के प्रति सजग है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से कम वजन के बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट दिख रही है। आंगनवाड़ी की गतिविधियों और अतिकम वजन वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार में जन-सहयोग को बढ़ावा देने के लिये “स्नेह सरोकार” कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब तक लगभग 75 हजार बच्चों का उत्तरदायित्व शासकीय सेवकों, जन-प्रतिनिधियों, समुदाय, औद्योगिक घरानों/संस्थाओं द्वारा लिया गया है।

101. किशोरी बालिकाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता का प्रोजेक्ट “उदिता” आरंभ किया गया है। अभी यह इन्दौर, झाबुआ, राजगढ़ एवं सीहोर जिलों में लक्षित एवं सघन रूप से चलाया जा रहा है। अब तक 597 शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावासों एवं सार्वजनिक स्थलों में सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की जा चुकी हैं। लगभग 11000 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उदिता कार्नर स्थापित हैं। 11 जिलों में स्व-सहायता महिला समूहों द्वारा प्रतिमाह 12 लाख सेनेटरी नेपकिन का उत्पादन किया जा रहा है।

102. प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, जिनमें 75 प्रतिशत महिलाएं हैं, में नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री

सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस शैक्षणिक सत्र में लगभग 2,040 अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में अध्ययनरत हैं। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम 14 परियोजनाओं के 2569 केन्द्रों में पायलट रूप में शुरू किया गया है। इसे चरणबद्ध सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में लागू किया जाएगा।

103. प्रदेश की 92 हजार आंगनवाड़ियों एवं मिनी आंगनवाड़ियों में करीब 31 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन मीठा सुगंधित दूध दिया जा रहा है।

104. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में अति कुपोषित बच्चों के सुपोषण का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 18 हजार स्नेह शिविरों में दो लाख बच्चों को लाभांवित किया गया है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। लगभग 26 प्रतिशत बच्चे कम वजन की श्रेणी से निकल कर सामान्य श्रेणी में आ गये हैं।

105. प्रदेश में 2350 आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श बनाया गया है। मेरी सरकार द्वारा लाडो अभियान से 78 हजार तय बाल विवाह सम्पन्न होने के पहले परामर्श से रोके गए। अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। दत्तक ग्रहण बच्चों के

लिये संचालित अनमोल वेबसाइट को ई-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है। शौर्या दल द्वारा अर्जित सफलताओं की प्रशंसा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने की है।

106. बीस लाख से अधिक बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया है। योजना में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने ई-लाड़ली प्रारम्भ किया गया।

107. स्वागतम लक्ष्मी योजना में 16 हजार 326 बालिका / महिलाओं का सम्मान कराया गया है। प्रदेश में 25 शासकीय विभागों में जेंडर आधारित बजट बन रहा है।

108. मेरी सरकार द्वारा गांव में आबादी क्षेत्र में रहे लोगों को एक अप्रैल से अभियान चलाकर अधिकार-पत्र दिया जाएगा। ग्रामीणों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें ई-ऋण पुस्तिका निर्धारित राशि लेकर प्रदाय की जायेगी। सरकार ने अविवादित नामांतरण तथा अविवादित बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को देने का फैसला लिया है।

109. मेरी सरकार प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा के प्रति सजग है। शहरी क्षेत्रों में 131 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

खोले गए हैं। घरेलू एवं यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा विधि परामर्श हेतु देश के पहले वन स्टाप क्राइसिस सेंटर “गौरवी” की स्थापना जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल में की गई है। सेंटर द्वारा 3576 प्रकरणों को पंजीकृत कर आवश्यक परामर्श एवं सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

110. मेरी सरकार द्वारा देश में पहली बार 17 अगस्त से 17 अक्टूबर तक सवा 24 लाख गर्भवती एवं अन्य आयु की महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें जांच, उपचार एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की गई।

111. जननी एक्सप्रेस योजना का इस साल दिसम्बर तक कुल साढ़े 11 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं द्वारा लाभ लिया गया। संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 80 तक पहुंच गया है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों ने लिया है।

112. प्रदेश के प्रत्येक जिले में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में 3 अंक तथा बाल मृत्यु दर में 4 अंक की गिरावट दर्ज की गई, जो देश में सर्वाधिक है।

113. प्रदेश में कुल 314 पोषण-पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन केन्द्रों में नवम्बर 2015 तक 54 हजार 412 कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचारित किया गया। आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में 97 लाख से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर साढ़े 5 लाख बच्चों का उपचार किया गया।

114. मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरण में 15 लाख 65 हजार 495 बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2008 के बाद पोलियो रोग का एक भी नया प्रकरण प्रकाश में नहीं आना मेरी सरकार की उपलब्धि है। प्रदेश को भारत सरकार ने मातृ एवं नवजात शिशु टिटनेस बीमारी से मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय किया है।

115. प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ कर एन.सी.डी. क्लीनिक की स्थापना की गयी है।

116. मेरी सरकार ने श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। पन्द्रह केन्द्रीय श्रम कानून प्रक्रिया को सरल एवं श्रम हितैषी बनाकर संशोधित अधिनियम प्रभावशील किया गया है। नवीन पंजीकरण, नक्शा अनुमोदन तथा कारखाना लायसेन्स

नवीनीकरण की प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। कारखाना श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश प्राप्त करने के लिए वर्ष में 240 कार्य-दिवसों की बाध्यता को घटाकर 180 दिवस किया गया है।

117. कुल 24 लाख 60 हजार निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर 515 करोड़ से ज्यादा के हितलाभ दिये गये हैं। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0-18 वर्ष के आयु के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

118. मेरी सरकार परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को संरक्षण दे रही है। प्रदेश में 112 होम्योपैथिक और 24 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के साथ 131 पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। शीघ्र ही 710 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है।

119. भोपाल, ग्वालियर, सागर, इन्दौर, रीवा एवं जबलपुर मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लेब स्थापित कर वायरस की जांचें प्रदेश में ही करने की व्यवस्था की जा रही है।

120. खण्डवा एवं दतिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विदिशा, रतलाम एवं शहडोल में कार्यादेश जारी हो गये हैं। छिन्दवाड़ा तथा

शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज के डी.पी.आर. तैयार किए गये हैं।

121. भोपाल के गैस प्रभावित क्षेत्रों में 50 करोड़ के व्यय से शुद्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था की जा रही है। गैस प्रभावित 22 बस्तियों में 10 हजार 124 निःशुल्क नल कनेक्शन दिए गए हैं।

122. मेरी सरकार ने आम लोगों को सम्पत्ति के दस्तावेज आसानी से पंजीकृत करवाने की सुविधा देने के लिए ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था “संपदा” लागू की है। इससे रजिस्ट्री के काम में पारदर्शिता आई है। अब तक ढाई लाख ई-पंजीयन किये जा चुके हैं, जिससे शासन को लगभग 1100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। साथ ही, 40 करोड़ रुपये के ई-स्टाम्प जारी हुए हैं। इस व्यवस्था से 5500 से अधिक सर्विस प्रोवाइडर को रोजगार मिला है।

123. मेरी सरकार ने कारोबारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। सभी रिटर्न की इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष जनवरी तक 18 लाख 62 हजार से अधिक इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्राप्त हुए हैं। इस वित्त वर्ष में लगभग 59 हजार नये कारोबारियों ने ई-पंजीयन करवाया है। अभी तक इस वर्ष 70 लाख 16 हजार फार्म कारोबारियों द्वारा डाउनलोड किये गये हैं।

124. कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये किये जा रहे कटिबद्ध प्रयासों के अन्तर्गत 54 कृषि उपकरण पर अब वैट टैक्स नहीं लिया जा रहा है। रोटोवेटर को भी कर मुक्त कर दिया गया है। विद्यार्थियों के उपयोग की अभ्यास-पुस्तिका, ग्राफ-बुक, ड्राइंग-बुक तथा प्रयोगशाला नोटबुक को कर मुक्त किया गया है।

125. मेरी सरकार ने कारोबारियों को डीमड एसेसमेंट की सुविधा दी है। उन्हें स्व-कर निर्धारण की सुविधा भी दी गई है।

126. मेरी सरकार द्वारा महेश्वर एवं चंदेरी के हाथकरघा बुनकरों के लिए डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में इस वर्ष 3000 हितग्राहियों को लाभांशित किया जा रहा है। रेशम उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिये धागाकरण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। “विंध्या वैली” एवं “कबीरा” ब्राण्ड के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिया जायेगा।

127. राज्य का खनिज भंडार प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की प्रमुख कड़ी है। हीरा उत्पादन में प्रदेश का देश में एकाधिकार है। मेरी सरकार प्रदेश

में उपलब्ध खनिजों का संतुलित दोहन आधुनिक तकनीक एवं संसाधनों से कर रही है। वर्ष 2014-15 में हीरा, मैंगनीज, पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क के उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम, डायस्पोर, क्ले, चूना पत्थर, राक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय, लेटेराइट, ओकर, शैल के उत्पादन में तृतीय तथा कोयला, डोलोमाइट के उत्पादन में चौथे स्थान पर है।

128. इस वर्ष नयी रेत खनन नीति बनाई गई है। चूना पत्थर एवं हीरा खनिज के ब्लॉक के ई-आक्शन की कार्यवाही गतिशील है। मेरी सरकार ने पहली बार पारदर्शी प्रक्रिया से रेत, फर्शी पत्थर/पत्थर जैसे गौण खनिजों की खदानों का ई-आक्शन किया है।

129. मेरी सरकार द्वारा पहली बार प्रदेश में महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस निःशुल्क बनाये जा रहे हैं। मोटरयानों को “नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र” सहजता से सुलभ कराने की स्कीम लागू की गई है। परमिट पारदर्शी तरीके से समयावधि में जारी करने की सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

130. सरकार ने कृषि उपयोग के वाहन पर लगाने वाले लाईफ टाइम टैक्स 6 प्रतिशत को कम कर एक

प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा में वाहन पर लाइफ टाईम टैक्स 7 से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। चालक-परिचालक कल्याण योजना में 17 हजार से अधिक चालकों / परिचालकों का पंजीयन किया गया है। स्कूल बसों का टैक्स रुपये 120 प्रति सीट प्रतिवर्ष से घटाकर रुपये 12 प्रति सीट प्रतिवर्ष किया गया है। बिना नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। कम्प्यूटराईज्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं। वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदेश में कहीं से भी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने लोक परिवहन अधोसंरचना हेतु इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 11 परिवहन सेवाएँ अधिसूचित की गई हैं।

131. इस साल प्रदेश में 6 करोड़ 38 लाख पौधे रोपे गये। लगभग सवा तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनोपचार किया गया। ग्रामीणों को बाजार मूल्य की तुलना में निस्तार के लिये 16 करोड़ रुपये से ज्यादा की रियायत देते हुए बांस, बल्ली एवं जलाऊ लकड़ी प्रदाय की गई। वन समितियों को पिछले वर्ष के काष्ठ एवं बांस विदोहन का 41 करोड़ से ज्यादा का लाभांश दिया गया। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को रुपये 152 करोड़ से ज्यादा

का पारिश्रमिक दिया गया है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना में संग्राहकों के 4129 होनहार बच्चों को ढाई करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा के लिये दी गई।

132. वन विहार, भोपाल में 7 तथा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 22 इस तरह कुल 29 बारहसिंघा को कान्हा से लाकर पुनर्स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 50 और चीतल पुनर्स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में पहली बार गिद्धों की गणना का कार्य इसी जनवरी में पूर्ण किया गया। प्रदेश के टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 93 करोड़ के ईको पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत किये हैं। रीवा जिले के मुकुन्दपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है।

133. वर्षा ऋतु में 8 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य है। मेरी सरकार ने किसानों को वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये 53 प्रजातियों को परिवहन अनुज्ञा की अनिवार्यता से मुक्त किया है। वन प्रबंधन एवं संरक्षण में जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 एवं म. प्र. संरक्षित वन नियम 2015 बनाये गये हैं।

134. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल करते

हुए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूलों में ही आवेदन लेकर डिजिटलईज्ड लेमिनेटेड जाति प्रमाण-पत्र देने के विशेष अभियान में अब तक एक करोड़ 13 लाख से ज्यादा प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। निःशक्तजन के लिये आरक्षित रिक्त पद की पूर्ति की वॉक-इन-इंटरव्यू नीति की समय-सीमा मार्च 2016 तक बढ़ा दी गयी है।

135. मेरी सरकार ने शासकीय सेवकों के कल्याण एवं समस्या के निराकरण के लिये राज्य कर्मचारी कल्याण समिति गठित की है। राज्य-स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री / विभागीय / विभागाध्यक्ष एवं जिला-स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठक नियमित की जा रही है। शासकीय सेवकों को महँगाई भत्ता केन्द्र द्वारा स्वीकृत दरों एवं समय पर दिया जा रहा है।

136. मेरी सरकार ने वन विभाग को छोड़कर अन्य शासकीय नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।

137. मेरी सरकार सुशासन की स्थापना के लिए कृत-संकल्पित है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में अब 23 विभाग की 161 सेवाएँ हैं। इनमें से

107 सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 3 करोड़ 60 लाख से अधिक आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा कर 3 करोड़ 41 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। समय-सीमा में सेवाएं प्रदान न करने पर अब तक 274 अधिकारी को 13 लाख 82 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कुल 336 लोक सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

138. मेरी सरकार द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सभी जिलों में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया गया। वरिष्ठजन के कल्याण एवं संरक्षण के लिए आवश्यकतानुसार वृद्धाश्रमों की स्थापना की गई है।

139. मेरी सरकार ने महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिये अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को पदाभिहित किया है। वर्तमान में 50 सिविल जिलों में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित हैं। आगर-मालवा में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु आवश्यक पद सृजित किए गए हैं।

140. इस वर्ष दिसम्बर तक 57 हजार 369 व्यक्तियों को विधिक सहायता / विधिक सलाह योजना का लाभ

दिया गया। लोक अदालतों के माध्यम से लगभग 36 लाख 40 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण करवाया गया है।

141. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस आधारित कार्य-प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। आई.टी. निवेश नीति जारी की जाकर वृहद आई.टी. अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। इन्दौर एवं ग्वालियर में आई.टी. पार्क स्थापित किये गए हैं। भोपाल में आई.टी. पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। भोपाल तथा जबलपुर में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के विकास कार्य तेजी से किये गये हैं। प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली प्रचलित है। स्टेट रेसीडेंट डाटा हब का आधारभूत अधोसंरचना कार्य पूरा हो गया है। प्रदेश में 9383 कॉमन सर्विस सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं। महिलाओं में इन्टरनेट के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए ई-शक्ति परियोजना लागू की गई है।

142. मानव संसाधन के समुचित उपयोग के लिये 15 क्षेत्रीय दक्षता संवर्धन केन्द्र संचालित हैं। शेष जिलों में इनकी स्थापना के कार्य प्रचलित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में विषय-विशेषज्ञों द्वारा स्कूल-कॉलेजों में वर्चुअल क्लास रूम परियोजना से

शिक्षा प्रदान की जा रही है। परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था के प्रथम चरण में चयनित 18 विभाग की 70 परियोजना की मॉनिटरिंग प्रारंभ की गई है।

143. राज्य की जनसंख्या के आधार कार्ड का 82 प्रतिशत पंजीयन पूर्ण किया गया है। प्रदेश के रिमोट सेंसिंग आधारित प्लान को केन्द्र द्वारा बेस्ट प्रेक्टिसेस की श्रेणी में रखा जाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है।

144. मेरी सरकार ने जन शिकायत निवारण की बहुआयामी व्यवस्था की है। समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन के जरिये जनशिकायतों का शीघ्र और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित हुआ है। अब तक लगभग 16 लाख शिकायतों के कॉल का समाधानकारक जवाब दिया गया है।

145. प्रदेश में इस वर्ष अक्टूबर तक पर्यटकों की संख्या 6 करोड़ 60 लाख रही। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, टैक्सी ड्राइवर, कुली, होटलियर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

146. सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन केबिनेट गठित करने का निर्णय लिया है। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में विशेष

प्रयास किये जा रहे हैं। इसी माह इन्दिरा सागर के हनुवंतिया में “जल महोत्सव” मनाया गया। कन्वेशन सेंटर, हेरिटेज होटल, बजट होटल, होटल / रिसॉर्ट के निर्माण के लिये केपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

147. इंदिरा सागर, माण्डू, चोरल, बाणसागर, गांधीसागर, खजुराहो, दतिया, ओरछा, सांची, तवानगर, मड़ई, भेड़ाघाट, तामिया, सलकनपुर, चित्रकूट, पन्ना, महेश्वर, अमरकंटक, बामसागर-गोविन्दगढ़ को विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। उपलब्ध लेण्ड बैंक की भूमियों एवं हैरिटेज परिसम्पत्तियों पर पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी निवेशकों को भूमि एवं परिसंपत्तियां उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

148. मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में नया सांस्कृतिक वातावरण निर्मित हुआ है। नये राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किये गये हैं। कुल 63 स्मारकों का संरक्षण वर्ल्ड मोन्युमेंट फण्ड से करवाया जा रहा है। सिंहस्थ के अवसर पर उज्जैन एवं ओंकारेश्वर के मंदिरों / स्मारकों का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है।

149. विश्व हिन्दी सम्मेलन का भोपाल में मेरी सरकार ने सफल आयोजन किया। उज्जैन में कालीदास अकादमी परिसर में भी विकास कार्य किया जा रहा है।

महाकाल मंदिर के पास विकसित किया जा रहा त्रिवेणी संग्रहालय एक बड़ा आकर्षण केन्द्र होगा।

150. सिंहस्थ को एक वैचारिक केन्द्र के रूप में प्रस्तुत करने की दृष्टि से मूल्य आधारित जीवन, मानव-कल्याण के लिए धर्म, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन तथा आध्यात्म एवं विज्ञान विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की गईं। अब स्वच्छता, बेटी बचाओ, कृषि एवं कुटीर उद्योग विषयों को सम्मिलित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में किया जा रहा है।

151. मेरी सरकार प्रदेश में खेलकूद का बेहतर वातावरण बनाने में सफल रही है। रियो ओलम्पिक की महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 6 खिलाड़ी शामिल हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 35 पदक हासिल किये हैं।

152. प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है। इस वर्ष सभी त्यौहार सौहार्द से मनाये गये। नक्सलवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण है। मेरी सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी सफल रही है। अपराधों पर नियंत्रण और ईनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान चलाये गये। डकैती

प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी अभियान चलाकर डकैतों को बंदी बनाया गया।

153. नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता सुलभ करवाने के लिए डायल 100 योजना शुरू की गई है। प्रतिदिन लगभग 80 हजार कॉल पर सहायता पहुंचाई जा रही है। महिला हेल्प लाइन 1090 में पिछले वर्ष में 24 हजार 467 शिकायत का निराकरण किया गया। प्रदेश के थानों एवं पुलिस कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है। सभी जिलों में महिला अपराधों के निवारण के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन कर आरोपियों को दंडित किया गया है। मेरी सरकार द्वारा जिला, संभाग एवं प्रदेश स्तर पर गम्भीर अपराधों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

154. यह विधायी सदन देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य में अपनी गौरवशाली विधायी और संसदीय परम्पराओं के लिए जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2016-17 इस परम्परा में मील का पत्थर प्रमाणित होगा।

जय हिन्द। जय मध्यप्रदेश।

(माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सदन से प्रस्थान किया)

(*) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण का पैरा क्रमांक(1),(2),(3) तथा (154) पढ़ा गया तथा शेष पैरा (4) से (153) पढ़े हुये माने गये.

समय-10.50

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुये}

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कागज हमें मिला है इस पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये 25 और 29 फरवरी, 2016 नियत की गई है. सामान्यत यह व्यवस्था रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त होने के बाद में बजट प्रस्तुत किया जाता है. यह बीच में बजट लाने की क्या जरूरत है. जो प्रथा चली आ रही है उसी को रखें. 29 तारीख को बजट प्रस्तुत कर लें या रेग्यूलर कर लें.

अध्यक्ष महोदय-- इस पर विचार कर लेंगे.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय 15-20 साल से तो यह परम्परा मैं ही देखता आ रहा हूं. सामान्यतः यह व्यवस्था रही है.

अध्यक्ष महोदय-- परम्परा है न. नियम तो नहीं है.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी(सतना) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया(मंदसौर) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं" .

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये, मैं, दिनांक 25 एवं 29 फरवरी, 2016 का समय नियत करता हूं.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को अपराह्न 4.00 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं.

श्री रामनिवास रावत-- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध है.विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के तत्काल बाद बजट पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसलिये अपराह्न 4.00 बजे के स्थान पर 5.00 बजे तक कर दें.

अध्यक्ष महोदय-- ठीक है. कल 11.00 बजे तक दे दें.

अध्यक्षीय घोषणा

बजट प्रक्रिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

अध्यक्ष महोदय -- आज दिनांक 23 फरवरी, 2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे विधानसभा भवन स्थित मानसरोवर सभागार में माननीय सदस्यों को संसदीय कार्यों में प्रभावी भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से बजट प्रक्रिया एवं उसके विभिन्न पहलुओं तथा उपयोग से अवगत कराने के लिये बजट प्रक्रिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. कार्यशाला में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, दिल्ली के विषय विशेषज्ञों द्वारा बजट संबंधी जानकारी दी जायेगी. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यशाला में पधारने का कष्ट करें.

माननीय सदस्यों हेतु भोज की व्यवस्था सभागार की लॉबी में रहेगी.

विधानसभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के प्रातः 10.30 बजे तक के लिये स्थगित.

पूर्वाह्न 10.54 बजे विधानसभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2016 (05 फाल्गुन, शक संवत् 1937) को प्रातः 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक 23 फरवरी, 2016

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा.